निर्णय दिनांक- 17/2/25

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 237 / 2019 जीसीएमएस नम्बर :- 2019 / 01097

1. संदीप कुमार पुत्र देशराज जाति जाट निवासी ढोढी हाल आबाद गादली तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू राज

.........वादीगण

बनाम

1. धुप सिंह पुत्र श्री रामसिंह
2. रवि सिंह पुत्र राजेश सिंह
3. सरोज पत्नी राजेश सिंह जाति राजपुत निवासीगण गादली तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं
4. राहुल सिंह
5. प्रदीप सिंह पुत्रान पवन सिंह जाति राजपुत निवासीगण गादली तहसील बुहाना, झुन्झुनूं
6. प्रियंका पुत्री पवन सिंह जाति राजपुत निवासीगण गादली तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं
7. पुजा कंवर पुत्री पवन सिंह उम्र 14 साल नाबालिग जरिए माता संरक्षक पप्पु देवी पत्नी पवन
8. पप्पु देवी पत्नी पवन सिंह जाति राजपुत निवासीगण गादली तहसील बुहाना झुन्झुनूं राज
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना।

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन

-:निर्णय:-

दिनांक :- 17/2/2025

1. वादी का वादपत्र रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2075 लगायत 78 के हाल खाता सं. 70 [illegible] नम्बर 302 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1.17 है., खसरा [illegible] कुल किता 3 कुल रकबा 1.90 है के खातेदार काश्तकार [illegible] हिस्सा 1/4, [illegible] कंवर पत्नी रामसिंह हिस्सा 1/4, पवन सिंह पुत्र रामसिंह [illegible]सा 1/4 रविसिंह [illegible] राजेश सिंह हिस्सा 1/12, सन्दीप कुमार पुत्र देशराज हिस्सा 1/9, सरोज पत्नी राजेश सिंह हिस्सा 1/18 दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.03.21 13:53:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

2 यह कि प्रेम देवी पत्नी रामसिंह जाति राजपुत फौत हो चुकी है। जिनके वारीसान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 8 है। जिन्हे पक्षकार बनाया गया है। तथा उनके हिस्से पर काबिज कास्त है। तथा पवन सिंह भी फौत हो चुका है। जिनके हिस्से पर प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8 काबिज कास्त है।

3 यह कि वादी अपने हिस्से की उन्नती करना चाहता है ओर अपने हिस्से 1/9 हिस्से का खाता विभाजन करवाना चाहता है जिससे वादी अपनी कास्त की उन्नती अच्छी तरह से करसके। इसलिए खाता विभाजन का यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

4 यह कि रिहायस पक्षकारान व वाद वर्णित भूमि ग्राम गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के अधिकार क्षेत्र में है।

5 यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार यह वाद 2 रूपये निधारित न्यायलय शुल्क पर सेवार्पित है।

वादी ने वाद–पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि–

क). यह कि वाके ग्राम गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2075 लगायत 78 के हाल खाता सं. 70 के खसरा नम्बर 302 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1.17 है., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.51 है., कुल किता 3 कुल रकबा 1.90 है. भूमि मे वादी के 1/9 हिस्से का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 25.03.2021 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.03.2021 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 529 दिनांक 15.09.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2215 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्ता[illegible] प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय [illegible] वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया [illegible] जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम गादली स्थित भूमि हाल [illegible] संख्या 70 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.03.21 13:53:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या:—237 / 2019
संदीप बनाम धुपसिंह आदि
निर्णय दिनांक— 17/2/25

—:: आदेश ::—

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2075 लगायत 78 के हाल खाता सं. 70 के खसरा नम्बर 302 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1.17 है., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.51 है., कुल किता 3 कुल रकबा 1.90 है. भूमि मे वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ—1 लगायत अ—4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 17/2/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.03.21 13:53:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक– ....

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

पीठासीन अधिकारीः–

राजस्व वाद सं:– 237/2019

जीसीएमएस नम्बर :– 2019/01097

संदीप **बनाम** धुपसिंह आदि

दावा बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री विजयपाल यादव एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम गादली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज स्थित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2075 लगायत 78 के हाल खाता सं. 70 के खसरा नम्बर 302 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 314 रकबा 1.17 है., खसरा नम्बर 316 रकबा 0.51 है., कुल किता 3 कुल रकबा 1.90 है. भूमि मे वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 17/2/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.03.21 13:53:2
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)